न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः नारायण सिंह चारण, आर0ए0एस0)

अपील/68/2018 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

बाबू पुत्र रामचन्द जाति जाटव निवासी खेड़ली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर

........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बयाना

........रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 23.10.2018 तहसीलदार बयाना मिसिल नम्बर 36/18 उनवानी राज0 सरकार बनाम बाबू अन्तर्गत राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1—श्री पुष्पेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलान्ट,
2—पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 20.08.2019**

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार बयाना के आदेश दिनांक 23—10—2018 के खिलाफ पेश की गई है। अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बयाना ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 2135 रकवा 0.32 हैक्टेयर वाकै ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये दिनांक 23.10.2018 को निर्णय पारित कर शास्ती व 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट की आराजी ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना मे स्थित है जिससे सटी हुई चारागाह भूमि है। भूमि अत्यधिक कम सीमा में है तथा लघु कृषक की सीमा में आता है। अपीलान्ट के पूर्वजों के विरूद्ध पूर्व में अतिक्रमण भूमि चारागाह पर प्रकरण दर्ज किये गये जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 23.03.1996 को निर्णय पारित कर

निगरानी अपीलान्ट स्वीकार करते हुये प्रकरण को जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित किया जिस पर न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनाक 15.04.1998 को पुनः निर्णय पारित कर तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार बयाना ने दिनांक 28.12.1998 को निर्णय पारित कर नियमन हेतु किस्म परिवर्तन कर एस0डी0ओ0 बयाना को भू आवंटन/नियमन हेतु प्रेषित की गई जिसकी पालना में ताहाल कोई कार्यवाही न कर यह विवादित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2018 पारित कर दिया जिससे सख्त हकतलफी पैदा हो रही है। अपीलान्ट सामान्य कृषक परिवार से है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आता है। अपीलान्ट परिवार में अकेला कमाने वाला है बन्द होने से परिवार को असीम परेशानियों का सामना करना पडेगा। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई/जबाब का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। केवल नोटिस जारी कर निर्णय पारित कर दिया है। आदेशिका दिनांक 27.09.2018 के अनुसार पत्रावली जांच रिपोर्ट में लम्बित थी तथा पेशी 23.10.2018 नियत की गई थी, जबकि पत्रावली अन्तिम बहस में नियत ही नहीं थी न ही अपीलान्ट के जबाब व साक्ष्य हेतु कोई अवसर पत्रावली पर मौजूद नहीं था फिर तहत अदालत ने मनमानी कार्यवाही करते हुये दिनांक 23.10.2018 को विवादित निर्णय पारित किया गया। तहत पत्रावली पर अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। अपीलान्ट ने अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 एवं तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार बयाना से प्राप्त तहत पत्रावली शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दौहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट की आराजी ग्राम खेडली गडासिया तहसील बयाना में स्थित है जिससे सटी हुई चारागाह भूमि है। प्रार्थी की भूमि अत्याधिक कम सीमा में है तथा प्रार्थी लघु कृषक की परिधि में आता है । प्रार्थी के पूर्वजों के विरूद्ध पूर्व में अतिक्रमण भूमि चारागाह पर प्रकरण दर्ज किये गये जो माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 23.3.1996 को निर्णय पारित कर निगरानी अपीलान्ट स्वीकार करते हुये प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु प्रतिप्रेषित किया गया जिसकी पालना में ताहाल कोई कार्यवाही न कर यह विवादित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.10.2018 पारित कर दिया जिससे सख्त हकतलफी पैदा हो रही है। अपीलान्ट सामान्य कृषक परिवार से है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आता है। पटवारी द्वारा बिना किसी आधार के गलत रिपोर्ट

तहत अदालत में प्रस्तुत की है। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई/जबाब का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। केवल नोटिस जारी कर निर्णय पारित कर दिया है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि आदेशिका दिनांक 27.9.2018 के अनुसार पत्रावली जांच रिपोर्ट में लम्बित थी तथा पेशी 23.10.2018 नियत की गई थी पत्रावली अन्तिम बहस में नियत नहीं थी बाबजूद इसके तहत अदालत ने मनमानी तरीके से अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 पारित कर दिया गया है जो काबिल मंसूखी है। इसके अलावा तहत पत्रावली पर अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। इसके अलावा तहत पत्रावली पर अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व अतिक्रमण/बेदखली कार्यवाही से संबधित ऐसा कोई साक्ष्य सबूत या रिकार्ड ही उपलब्ध नहीं है जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्यान्तों के विपरीत भी है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार बयाना के अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी इस आराजी पर अतिक्रमण किया गया था । पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्याय संगत है । अपीलान्ट के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि चारागाह भूमि है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्ट राजकीय चारागाह भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि भी है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलीयों का अवलोकन किया गया। मौजूदा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से खसरा नम्बर 2135/0.32 हैक्टेयर किस्म चारागाह वाकै ग्राम खेडली गडासिया पर अपीलान्ट द्वारा फसल चरी बोकर अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। उक्त अतिक्रमण का सिद्ध होना स्वयं अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 09–01–2019 से भी स्पष्ट होता है। शपथ–पत्र के अनुसार अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा भविष्य मे पुनः अतिक्रमण न करने की हिदायत देते हुये मौके से अतिक्रमण हटाने की शर्त पर अपीलाधीन आदेश को केवल सजा की हद तक निरस्त किया जाना उचित पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट सशर्त–आंशिक स्वीकार की जाकर इस निर्देश के साथ तहसीलदार बयाना को प्रतिप्रेषित की जाती है कि बाद जांच यदि मौके पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया हो तो ही अपीलाधीन आदेश 23.10.2018 केवल सजा की हद तक निरस्त रहेगा, अन्यथा अपीलाधीन आदेश यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2019 को सुनाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर